

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -445/2008/सीकर

सहायक आयुक्त,  
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन-प्रथम, जयपुर  
बनाम

अपीलार्थी

मेसर्स ब्रह्म प्रकाश मोदी  
नीम का थाना, सीकर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री एन.के. बैद  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री डी.कुमार  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 15.01.2014

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 10/ आरएसटी/सीकर/2004-05 में पारित दिनांक 24.05.2007 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि 2001-02 कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.06.2004 पारित कर निम्न प्रकार से बिन्दु वार आरोपण किया है:-

1. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रु. 1,55,63,256/-के संविदा कार्यों पर कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु 10 आवेदन पत्र एस टी -1 में कर निर्धारण के समक्ष प्रस्तुत किये। उक्त कार्य आदेश दिनांक 29.3.2001 से पूर्व के है तथा विलम्ब से प्रस्तुत किये गये हैं। अतः राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 12 (2) के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क रु. 23,500/-आरोपित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया।

2. प्रत्यर्थी व्यवहारी की कुल संविदा राशि रु. 1,64,33,143.00 पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क रु. 24,64,15/- व सरचार्ज रु. 3,69,743/-आरोपित किया गया।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के दौरान रु. 17,57,658/-के माल का संविदा कार्य के निष्पादन हेतु घोषणा पत्र डी के माध्यम से खरीद करना बतलाकर कर से कटौती चाही गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों एवं दस्तावेजों की जांच से जाहिर किया कि व्यवहारी ने उक्त खरीद एच एस डी

(हाई स्पीड डीजल) मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं इण्डियन ऑयल लिमिटेड से शोषणा पत्र एस टी 17 के माध्यम से 4 प्रतिशत रियायती दर पर खरीद किया जाकर संविदा कार्य के निष्पादन के काम में लेना बतलाकर कर से कटौती चाही है। प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है व व्यवहारी द्वारा खरीद किये गये डीजल को या तो निर्माण एवं प्रोसेसिंग, खनन या विद्युत उत्पादन एवं वितरण के काम हेतु लिया जासकता है किन्तु व्यवहारी ने रियायती दर पर खरीद किये गये हाई स्पीड डीजल को उपरोक्त वर्णित कार्यों में प्रयोग नहीं किया है, जबकि ठेकेदार निर्माता है नहीं है इसलिए वह अधिनियम की धारा 10 (3) के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यों हेतु रियायती दर पर नहीं खरीद कर सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी व्यवहारी का कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में उसके द्वारा बताया गया कि वह अधिनियम की धारा 10 (3) के अन्तर्गत हाई स्पीड डीजल रियायती दर पर खरीदने के लिए अधिकृत है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए जवाब को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 10 (4) के अन्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रू.2,10,919/- एवं इस पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार रू. 31,638/- आरोपित किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी को अवार्डर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी किये गये एस टी 28 के अनुसार आलोच्य अवधि के दौरान रू. 7,78,67,762/- का कोलतार (बिटुमन) राज्य के बाहर से क्रय कर अवार्डर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को सप्लाई किया, जिसे कर योग्य मानते हुए उक्त राशि पर 12 प्रतिशत की दर से कर रू. 69,44,131/- व इस राशि पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार रू. 10,41,620/- आरोपित किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि का वार्षिक बिक्री विवरण पत्र एस टी 5ए प्रस्तुत नहीं किया, जिसके लिए उसे नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को सन्तोषजनक नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 (बी) के अन्तर्गत शास्ति रू. 500/- आरोपित की।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रू.53,532/- की टी डी एस कटौती का समयोजन माना गया, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी समयोजन नहीं दिया।

उपरोक्त प्रकार से पारित कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2007 बिन्दु पर पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार

कर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन ने कर निर्धारण अधिकारी के समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण के तथ्यों के अनुसार बिन्दु वार बहस प्रस्तुत की, जो निम्न प्रकार है

1. कर मुक्ति प्रार्थना पत्र देर से प्रस्तुत किये जाने पर नियम 12(2) क अंतर्गत अधिकतम शास्ति रूपये 200.00 ही आरोपित की जा सकती है। अतः शास्ति का आरोपण गलत होने के कारण रूपये 200.00 की शास्ति यथावत रखी जाकर शेष रूपये 23,300.00 की शास्ति यथावत रखी जाकर शेष शास्ति रूपये 23,300.00 का आरोपण निरस्त किया जाये।
2. कर मुक्ति शुल्क पर सरचार्ज का आरोपण अनुचित बताते हुए माननीय अधिवक्ता ने कहा कि विधिक स्थिति के अनुसार कर मुक्ति शुल्क पर सरचार्ज आरोपणीय नहीं है। माननीय कर बोर्ड, अजमेर द्वारा मैसर्स मुरलीधर दीनदयाल से संबंधित प्रकरण का हवाला देते हुए, माननीय अधिवक्ता ने उक्त सरचार्ज रूपये 3,69,743.00 का आरोपण अविधिक होने के कारण अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।
3. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि रियायती कर दर का प्रावधान धारा 10(1) एवं 15 में है जबकि उनका प्रकरण धारा 10(1) का नहीं था। उनके अनुसार धारा 10(3) तो दर निर्धारित करता है। उसका काम बजरी, डामर आदि का मिश्रण करना है जो एक प्रोसेगिंग है अतः प्राधानानुसार वह 4 प्रतिशत की दर से डीजल खरीदने का अधिकारी था। उन्होंने अधिसूचना के संबंध में कहा कि उसे अधिनियम के प्रावधानों साथ रखकर पढना होगा, तभी उसका अर्थ निकाला जा सकेगा। अधिसूचना के क्लॉज 4 में कर मुक्ति के लाभ की शर्त का जिक्र है कि ठेकेदार बिना कर चुकाये (रियायती) घोषणा पत्रों का उपयोग नहीं कर सकता। उन्होंने इस संबंध में आगे कहा कि इस क्लॉज का अधिनियम की धारा 10(3) से कोई संबंध नहीं था एवं व्यवहारी द्वारा तो इस धारा के अनुरूप पूरा कर चुका कर माल खरीदा गया। अतः यह अधिसूचना असंबंध है तथा इससे उनके प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मानना कि व्यवहारी धारा 10(3) में डीजल खरीदने के लिए अधिकृत नहीं था को उन्होंने बिना किसी विधिक आधार पर निकाला गया निष्कर्ष

बतलाया। कर निर्धारण अधिकारी ने स्वयं अपने कर निर्धारण आदेश में यह माना है कि खरीद किये गये डीजल को अपीलार्थी द्वारा निर्माण एवं प्रोसेसिंग के कार्य में लिया गया है।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि रूपये 5,78,67,762.00 की बिटूमैन की राज्य के बाहर से की गई खरीद पर कर व सरचार्ज का भी गलत रूप से आरोपण किया है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त खरीद जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए उसके संविदा कार्य में प्रयोग हेतु खरीदी थी। चूँकि अपीलार्थी को संविदा कार्य हेतु राज्य के बाहर से खरीदे गये माल पर करारोपण नहीं किया जा सकता। अतः उक्त आधार पर किये गये करारोपण रूपये 69,44,131.00 व सरचार्ज रूपये 10,41,620.00 को अपास्त किया जाये।

5. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी नहीं किया गया, अतः बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

6. विद्वान अभिभाषक ने बताया कि टी डी एस कटौती का प्रमाण प्रस्तुत कर दिये जाने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने रु. 53,532/- का समयोजन नहीं दिया है, जो अविधिक है। उन्होंने समयोजन दिये जाने के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात बिन्दुवार निर्णय पारित किया जा रहा है :-

बिन्दु संख्या एक- प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र विलम्ब से कुल 10 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब शुल्क रु. 23500/- आरोपित किया है। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये निर्णय पर विचार किया गया। कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर एक वर्ष के विलम्ब के लिए अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत अधिकतम 200/- रु. शास्ति आरोपित की जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस बिन्दु पर देरी की गणना हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्ष की पुष्टि की जाकर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

बिन्दु संख्या दो- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्ति शुल्क पर सरचार्ज आरोपित किया है,जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है। कर बोर्ड द्वारा मैसर्स मुरलीधर दीन दयाल, अजमेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत के निर्णय में मत प्रतिपादित किया गया है कि कर मुक्ति शुल्क पर सरचार्ज आरोपित नहीं किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

बिन्दु संख्या तीन- कर निर्धारण अधिकारी ने हाई स्पीड डीजल को रियायती दर पर क्रय किया गया,जिसको अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने कर एवं सरचार्ज आरोपित किया है,जिस पर अपीलीय अधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :-

“जहां तक हाई स्पीड डीजल को रियायती दर पर खरीदे जाने को अमान्य किया जाकर आरोपित किये गये कर व ब्याज के आरोपण का प्रश्न है, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रोड,बजरी व बिटुमैन के मिश्रण को प्रोसेसिंग माने जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है व कर तथा सरचार्ज का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि व्यवसाई (ठेकेदार)निर्माता नहीं है इसलिए वह धारा 10 (3) के अन्तर्गत रियायती दर पर माल नहीं खरीद सकता। किन्तु धारा 10 (3) में विनिर्माण व प्रोसेसिंग दोनों के लिए रियायती दर पर खरीद किये जाने का प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी रियायती दर पर एस टी 17 के विरुद्ध हाई स्पीड डीजल की खरीद का हकदार था। अधिसूचना दिनांक 30.04.1993 के प्रावधान (4) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा डीजल खरीदा गया है, अतः उसके द्वारा घोषणा पत्र का उपयोग किया जाकर खरीदा गया डीजल, विधिसम्मत होने के कारण उक्त खरीद को अमान्य किया जाकर आरोपित कर रु. 2,10,979/- व सरचार्ज रु.31,638/-को अपास्त किया जाता है। सन्दर्भित बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सेल्स टेक्स रिवीजन पिटीशन नम्बर 51/2004 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम के प्रकरण में निर्णय दिनांक 22.05.2013 पारित किया है,जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

**“Even the Assessing Officer when he comes to the finding that the assessee has purchased high speed diesel for processing of rody,concrete and cement, then it is clearly and categorical finding then in my view, the assessee was entitled to purchase of diesel on concessional rate by issuing declaration "form 17" in purchasing the high speed diesel at the rate of 4%. When it is an admitted fact that the mixer of rody, concrete and cement has been held to be involved in processisng, the benefit as applicable /s 10(3) ought to have been allowed--.”**

अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं पूर्व में प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरण में कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के आधार पर उक्त निष्कर्ष दिया है, जिसकी पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में की जाकर राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

बिन्दु संख्या 4- प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से क्रय किये गये बिटुमिन का उपयोग संविदा कार्य में किया गया जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त बिटुमिन को जयपुर विकास प्राधिकरण को सप्लाई करना मानकर खरीद किये गये बिटुमिन रु. 5,78,67,762/-पर 12 प्रतिशत की से कर रु. 69,44,131/- व इस राशि पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार रु. 10,41,620/-आरोपित किया है। इस बिन्दु पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी ने जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी के मध्य हुए काट्रेक्ट का अध्ययन करने के पश्चात जांच कर एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप करने का औचित्य यह पीठ नहीं समझती है। फलस्वरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।


बिन्दु संख्या 5- प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वार्षिक विवरण पत्र एस टी 5ए पेश नहीं किया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत रु. 500/-शास्ति आरोपित की है। उक्त शास्ति आरोपित करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर विचार करने पर यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत रु. 500/- की शास्ति आरोपित किया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः इस बिन्दु अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

बिन्दु संख्या 6- प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से टी. डी. एस. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने रु. 53,532/-का समायोजन नहीं दिया है। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने जांच कर उक्त राशि का सत्यापन करने के पश्चात समायोजन दिये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है,जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है। फलस्वरूप इस बिन्दु पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

-7-अपील संख्या -445/2008/सीकर

फलतः अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए शेष सभी बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य